FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2024

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 26/11/2024 18:26 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/11/2024 **Time (समय):** 18:26 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 26/11/2024 18:26 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 85 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): कैथल,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** राज कुमार

   (b) **Father's Name (पिताका नाम):** नगीना राम

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	कलायत, कलायत, KALAYAT, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	कलायत, कलायत, KALAYAT, KAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812337218

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कर्मबीर सिंह कानूनगो			1. लैंड एक्विजिशन,एल ए कलैक्टर हरियाणा, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	चरण सिंह ढांडा			1. कैथल, KAITHAL,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मानजी, नकल लेख निम्न प्रकार से है:-
सेवा मे,
श्रीमान इन्सपैक्टर साहब
एंटी करप्शन ब्युरो कैथल
श्रीमान जी ,

निवेदन है कि मैं राजकुमार पुत्र नगीना राम वासी कलायत जिला कैथल का वासी हुँ। मैं आढत की दकानदारी के साथ प्रोपटी खरीद बेचने का भी काम करता हुँ। मैने दिनांक 17.04.203 को हुडा सैक्टर 18 कैथल के मुरब्बा नंबर 10 के किला नंबर 23 में बालमुकन्द पुत्र सीता राम से भूमि खरीदने का इकरारनामा किया था। रजिस्टरी लैडं एक्विजिशन (एल ए) कलेकटर हरियाणा व हरियाणा शहरी विकास विभाग से निशान देही होने उपरांत करवाई जानी थी तथा भूमि मालिक बालमुकंद पुत्र सीता राम वासी कैथल ने मुझे दिनांक 17.04.2023 को ही जी पी ए दे दिया था कि मेरे नाम से कोई निशान देही करवानी हो या कोई कागजी कार्यवाही हो उस बारे आप अधिकृत हों। सितम्बर 2024 को मै उपरोक्त भूमि के पास खडा था उसी दौरान मेरा जानकार चरण सिंह ढांडा वासी कैथल जो प्रोपटी का काम करता है मेरे पास आया। मैने उससे कहा कि उपरोक्त मुरब्बा मे मैने कुछ जमीन खरीदने का सौदा किया हुआ है। एल ओ आफिस पंचकूला व हुड्डा से निशानदेही करवानी है। इस पर चरणा ने मुझे कहा कि यह जगह एक्वायर हुई है। मेरा एल ओ आफिस पंचकूला मे जानकार कानूनगो कर्मबीर है, मै निशानदेही व भूमि रिलिज लैटर दिलवा दूंगा। फिर हम दोनो 1 सितम्बर 2024 मे पंचकूला मे एल ओ आफिस मे गये। जंहा पर चरणा ने मुझे अपने जानकार कर्मबीर कानूनगो से मिलवाया और मैने निशानदेही व रिलिज लैटर बारे बात कि, जिस पर कर्मबीर कानूनगो ने कहा कि काम बडा कठिन है। बिना रिलिज लेटर के निशानदेही नही होगी। करोंडो रुपये कि भूमि है। खर्चा करना पडेगा। मैने कहा कि कितना खर्चा लगेगा, जिस पर कर्मबीर कानूनगो ने कहा कि चरणा बता देगा। दोनों ने आपस मे बात की और मेरे को चरणे ने कहा कि 30 रुपये लगेंगे। यदि मै राशि नही दूंगा तो भूमि का रिलिज लैटर नही मिलेगा और ना ही निशानदेही होगी। मेरे का डर , भय दिखाया गया, मैने डर कर तीस लाख रुपये की डर का हां भर ली। उसी समय दोनों ने मुझे कहा कि 10 तो आज ही दे दो। मैने उसी दिन अपने पंचकूला मे जानकारों से कुछ रुपयों का ईन्तजाम करके, कुछ मेरे पास थे कर्मबीर को शाम के समय दे दिये। इस पर कानूनगो ने मुझे कहा कि एक दरखास्त आर टी आई लेने के लिये कि भूमि रिलिज है या नही दे दो। मैने कुछ दिन बाद बालमुकन्द से एक दरखास्त आर टी आई लेने के लिये लगवा दी। दिनांक 28.10.2024 को मेरे पास चरणा का फोन आया कि आप का भूमि रिलिज लैटर तैयार है। दस लाख लेकर पंचकूला आओं। मै दिनांक 28.10.2024 को एल ओ आफिस मे पंहूचा, तो दोनों दफ्तर के बाहर मिले। चरणा ने मेरे से एक लैटर नम्बर 1805 दिनांक 28.10.2024 दे दिया मैने लैटर देख कर 10 लाख रुपये चरण सिंह के कहने उसके उसके साथ मौजूद कर्मबीर सिंह को दे दिये। दिनांक 11.11.2024 को मै कैथल चरण सिंह के पास गया, जिसने कर्मबीर से फोन पर व्हटसप काल की और निशानदेही बारे बात कि फिर मैने कहा कि बहूत दिन हो गये करवा दो निशानदेही, तेरा माल पानी भी दे दिया है। उसने कहा कि कोई बात नही और मैने कहा कि बाकि तो कुछ नही देना, आपको कर्मबीर ने कहा कि, चरणा को पता है। इस पर चरणा ने कहा कि दस ओर देने है। इस पर कर्मबीर ने कहा कि निशान देही के लिए एक दरखास्त जे.ई हुडा को देकर मेरे पास भिजवा दो। मैं निशान देही करवा दूंगा ओर बकाया चरणा को दे दियो । इसके बाद मै दिनांक 14.11.2024 को फिर एल ओ आफिस सैक्टर 8 पंचकुला में कर्मबीर कानूनगो से मिला। कर्मबीर ने कहा कि 18 तक सत्र चल रहा है, मैने कहा की अब तो कुछ भी नही देना , बीस लाख रुपये तो दे दिये । कर्मबीर ने कहा कि बात तो पच्चीस में हुई थी, चरण सिहं 30 कह रहा था । मैने कहा कुछ तो दया करो ।मैने कहा कि मैने दुसरे पै क्यों चण्डवावे है। उसने धीमी आवाज मे कहा कि 5 और दे तथा उसने मोबाईल मे 5 लाख लिख दिये कर्मबीर ने मुझे कहा कि 20 मे से 8 तो चरणा ले गया। 6 लाख रुपये अफसरों को दे दिये। दिनांक 21.11.2024 को कर्मबीर ने मेरे पास मेरा फोन नम्बर 9812337218 पर सेट लाईट कम्पयुटर वाले का मोबाईल नम्बर 9312988888 का मोबाईल नम्बर भेजा कि उसे हायर कर लो। पंचकूला से आज कर्मबीर निशानदेही करने के लिये आ रहा है। निशानदेही के दौरान वह मुझसे 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेगा। मै उसको 5 लाख रुपये रिश्वत राशि नही देना चाहता। यदि मै उसे रिश्वत राशि नही दूंगा तो वह मेरी निशानदेही नही करेगा। मै कर्मबीर और चरणा को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध मे मैने डिवाईस मे रिस्वत राशि मांगने बारे रिकार्डीग की हुई है। जिसको मै पैन ड्राईव मे डाल कर दे दूंगा। उपरोक्त दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। मैने 500-500 के 1000 करन्सी

नोट कुल 5 लाख रुपये दरखास्त के साथ आपको पेश कर दिये हैं।

-sd- राजकुमार प्रार्थी –sd- अंग्रैजी
राजकुमार पुत्र नगीनाराम
निवासी कलायत
सम्पर्क 98123-37218
दिनांक 26.11.2024

कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 26.11.2024 को मन निरीक्षक मय स्टाफ हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल हूं कि राजकुमार पुत्र नगीना राम वासी कलायत जिला कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मेरी हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500/500 रूपए के 1000 अदद करेन्सी नोट मुबलिक 5,00,000/- रूपए मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता राजकुमार ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री बाबूलाल, उप निदेशक कृषि विभाग कैथल से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबून से कर्मबीर सिंह काननूगो, लैंड एक्विजिशन (LA) क्लेक्टर हरियाणा व चरण सिंह ढांडा वासी कैथल के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7, 7A, PC Act 1988 61(2), 308(2) BNS 2023 का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. उषा रानी न. 353/कैथल, स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87, स.उ.नि. सतबीर सिंह न. 796/यमुनानगर, मु.सि. हरनेक सिंह न. 568/अम्बाला मु.सि धर्मबीर न. 1561/अम्बाला व सिपाही मनीष न. 433/ पंचकूला बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 9656 जिसका चालक सि. रोहित न. 107/कुरुक्षेत्र व गाडी प्राईवेट तथा तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 के थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए।

-sd- Sube Singh निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल।
दिनांक 26.11.2024
at. 3.30pm

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा लेख निरीक्षक सुबे सिंह, भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल बर दरखास्त राजकुमार पुत्र नगीना राम वासी कलायत जिला कैथल बर खिलाफ कर्मबीर सिंह काननूगो, लैंड एक्विजिशन (LA) क्लेक्टर हरियाणा व चरण सिंह ढांडा वासी कैथल बाबत शिकायतकर्ता के प्लाट की निशानदेही करवाने की एवज मे डरा धमका कर पांच लाख रुपये रिश्वत मांगने बारे बाजूर्म धारा 7, 7A, PC Act 1988 61(2), 308(2) BNS 2023 का होना पाये जाने पर बादस्त मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 17 दिनांक 26.11.2024 धारा 7, 7A, PC Act 1988 61(2), 308(2) BNS 2023 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट बादस्त आने वाले मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 भ्र0नि0ब्यूरो उप केन्द्र कैथल के सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी।यह अभियोग महिला निरीक्षक बिमला देवी न. 1272/A की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 **में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SUBE SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 517KTL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.